दिनांक	आज्ञा-पत्र
26/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादीपक्ष स्वयं अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। न्यायालय समय में दोपहर 3 बजे पुनः वकील वादीपक्ष व वादीपक्ष स्वयं को बार-बार आवाज लगवाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं। सायंकाल न्यायालय समय की समाप्ति तक पुनः वकील वादी व वादीपक्ष स्वयं को आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली इसी स्तर वादी व वादी के वकील के अनुपस्थित रहने पर इसी स्तर पर अदम पैरवी। अदम हाजिरी में खारिज की जाती है पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

बइजलास राजपाल यादव आर.ए.एस

प्रकरण सं. 229/2014/दावा

बनाम तहसीलदार आदि

आवड़दान

आवेदन–पत्र बाबत बनाये जाने पक्षकार

आदेश

दिनांक– 11.11.2019

01. वकील आवेदनकर्तागण की ओर से प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि उपर्युक्त उनवान प्रकरण में वादी संख्या 1 आवड़दान का देहान्त दिनांक 24.06.2012 को हो गया है। मृतक आवड़दान के वैद्य उत्तराधिकारीगण/वारिसान उगमा देवी(पत्नी), भगवती कंवर(पुत्री), किशन कंवर(पुत्री), उम्मेदसिंह(पुत्र), माधोसिंह(पुत्र) है। प्रार्थीगण को पूर्व में यह जानकारी नहीं थी कि उनके पिता के द्वारा उपर्युक्त उनवान दावा प्रस्तुत कर रखा है। दिनांक 22.07.2016 को वादी सं. 3 ने बताया कि मैंने और आपके पिता आवड़दान ने उपर्युक्त उनवानी दावा प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें आपके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण आपको पक्षकार बनना है, तब प्रार्थीगण को उपर्युक्त उनवान प्रकरण की सर्वप्रथम जानकारी हुई, जानकारी से यथाशीघ्र आवेदन–पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण के प्रत्यक्ष हित निहित है। प्रार्थीगण द्वारा देरी जानबुझकर नहीं की गई है, देरी जानकारी के अभाव में हुई है, जो सद्भाविक है, जिसे क्षमा किया जाना उचित, आवश्यक एवं न्याय संगत है। इस संबंध में एक आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अलग से पेश किया जा रहा है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि आवेदन को स्वीकार किया जाकर मृतक वादी सं. 1 आवड़दान के स्थान पर प्रार्थीगण को बतौर कायम मुकाम पक्षकार बनाया जाकर रिकार्ड पर लिया जावें।

02. आवेदन पेश होने आवेदन की प्रति वकील प्रतिवादी सं. 2 को दिलाई गई। जिसका वकील प्रतिवादी सं. 2 की ओर से जवाब पेश नहीं कर बहस का निवेदन किया गया। बहस के दौरान वकील आवेदनकर्तागण ने अपने आवेदन के तथ्यों को दोहराया। इसके विपरीत वकील प्रतिवादी सं. 2/जवाबदाता ने बहस के दौरान उक्त आवेदन को विधिविरूद्ध व सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

03. हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। उपर्युक्त अवलोकन से जाहिर है कि वादी सं. 1 आवड़दान की मृत्यु दिनांक 24.06.2012 को हुई थी। जबकि वकील वादीगण द्वारा वादीगण सं. 1 के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन–पत्र दिनांक 25.07.2016 को प्रस्तुत किया। जिनमें 4 वर्ष से भी अधिक समय का अंतर है। जबकि नियमानुसार कायम मुकाम का आवेदन–पत्र

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

किसी पक्षकार की मृत्यु के 90 दिवस के भीतर पेश करना वादीपक्ष स्वयं अथवा उनके वकील के लिए आवश्यक है। वादी सं. 1 के द्वारा दायर हस्तगत वाद की जानकारी उसके वारिसान (पत्नी व दोनों पुत्रों) को नहीं होने का कारण स्वीकार योग्य नहीं है। यह भी स्वीकार योग्य नहीं है कि वादीगण वकील को उसके पक्षकार की मृत्यु की जानकारी 4 वर्षों तक भी नहीं हो। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वकील आवेदनकर्तागण की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र बाबत बनाये जाने पक्षकार दिनांकित 25.07.2016 निर्धारित समयावधि के भीतर नहीं होने से खारिज किया जाकर वादी सं. 1 के हित तक वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 11.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी सीकर
उपखण्ड अधिकारी
बोर्ड मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2019.12.03 16:04:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: